न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 31.08.2021

मिशल संख्या:– 227 / 2020

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. रतिराम पुत्र अर्जुनाराम जाति रेगर निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. देव पत्नि अर्जुनाराम जाति रेगर निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी नारिसदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. श्रवणकुमार पुत्र प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी नारिसदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सज्जनलाल पुत्र प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी नारिसदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. सत्यनारायण पुत्र प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी नारिसदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. रूपा देवी पत्नि स्व. प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी नारिसदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार देवली
7. उप पंजीयक नासिरदा / नायब तहसीलदार नासिरदा

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता व पति अर्जुनाराम पुत्र बागाराम जाति रेगर निवासी नासिरदा को खाविक ख0न0 327 मे 3 बीघा भूमि आंवटन कमेटी द्वारा दिनांक 10.05.1975 को नियमानुसार आवंटित की गयी थी और हलका पटवारी द्वारा मौके पर जाकर कब्जा सम्भाला

था और अर्जुनाराम द्वारा पटटा फीस भी जमा करा दी गई थी। उक्त भूमि काफी उबड खाबड थी जिसमे काफी पैसा लगाकर अर्जुनाराम ने उसको उपजाऊ बनायी थी। अर्जुनाराम का देहान्त हो गया है, अर्जुनाराम ने अपनी पत्नी की सहमति से वादी/प्रार्थी न0 1 को नाबालिग अवस्था मे गोद ले लिया था तब से ही प्रार्थी न0 2 के साथ रहा हैं। हाल ही मे देवली तहसील मे सेटलमेन्ट हुआ है और सेटलमेन्ट मे काफी अनियमितता की गयी है ऐसी अनियमितताएं प्रार्थी के साथ भी की गयी। सेटलमेन्ट मे उक्त आवंटन शुदा भूमि को अर्जुनाराम के नाम खातेदारी मे न लगाकर प्रतिपक्षीगण न0 1 ता 5 के पिता प्रहलाद पुत्र छगनालाल की खातेदारी मे लगा दिया गया है। सेटलमेन्ट के बाद उक्त भूमि के नये ख0न0 501 रकबा 0.69 हैक0 बन दिये गये और ग्राम नासिरदा मे अन्य राजस्व गांव बन जाने के कारण उक्त भूमि के नम्बर बदल गये ओर इस भूमि के नये नम्बर हाल ख0न0 348 रकबा 0. 69 है0 बना दिये गये है। प्रहलाद पुत्र छगनालाल का देहान्त हो गया है। पहले उक्त भूमि प्रहलाद के नाम लगा दी गयी बाद मे उसके वारिसान प्रतिपक्षीगण न0 1 ता 5 के नाम लगा दी गयी पर आज भी ख0न0 348 पर प्रार्थीगण का कब्जा है। साबिक ख0न0 327 मे से 3 बीघा भूमि आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत अर्जुनाराम को आंवटन की गयी थी उक्त आवंटन आज भी बहाल है जिसको किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नही किया गया है। सेटलमेन्ट के दौरान प्रतिपक्षीगणी के पिता प्रहलाद ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या सेटलमेन्ट अधिकारी के आदेश के बिना नये बने खसरा नं0 501 को स्वयं की खातेदारी मे लगा लिया जबकि साबिक ख0न0 327 मे प्रहलाद पुत्र छगनालाल को कोई भूमि आवंटित नही की गयी है। सेटलमेन्ट विभाग ने गलत रूप से उक्त ख0न0 501 जिसके हाल ख0न0 348 है को प्रहलाद की खातेदारी मे लगा दिया गया था इसलिए प्रार्थीगण को हाल ख0न0 348 रकबा 0.69 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिपक्षीगण न0 1 ता 5 आये दिन प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे मजाहमत करते है उनके नाम अवैध अकंन होने के कारण जमीन को अन्य दीगर व्यक्ति संस्थान को रहन, दान, बेचान, करने की धमकी देते है इस कारण उन्हे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नोकर चाकर के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत नही करे, फसल बोने व काटने मे बाधा उत्पन्न नही करे ओर विवादित ख0न0 को किसी अन्य को रहन, दान,

6).2

बेचान, आदि नही करे तथा प्रतिपक्षी न0 7 को भी पाबन्द किया जावे कि वह विवादित जमीन का कोई विक्रयपत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करे ओर प्रतिपक्षी न0 6 को भी पाबन्द किया जावे कि वह राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखे। अतः प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये ऐजेन्ट नोकर या अन्य किसी के माध्यम से हाल ख0न0 348 मे से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत नही करे, प्रार्थीगण को फसल बौने व काटने मे बाधा उत्पन्न नही करे। प्रतिपक्षी न0 7 को भी पाबन्द किया जावे कि वह विवादित जमीन का विक्रयपत्र, रहननामा, उसके समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करे तथा प्रतिपक्षी न0 6 को भी पाबन्द किया जावे कि वह राजस्व रिकोर्ड की स्थिति यथावत बनाऐ रखे। प्रार्थीगण को फसल बोने व काटने मे किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नही करे। विवादित भूमि ख0न0 348 अन्य व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान नही करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामनिवास तुनगारिया अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः—प्रार्थना पत्र चरण नं. 1 में प्रार्थीगण द्वारा केवल उक्त उन्वानी वाद पेश करना स्वीकार है शेष गलत हैं, अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस सिद्ध नहीं हैं। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 में नये खसरा नम्बर बनना व नया राजस्व ग्राम बनने हाल खसरा नम्बर बनना स्वीकार है, शेष कथन गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर कब्जा अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 का ही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अथवा उसके किसी भी भू—भाग पर कब्जा—काश्त नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 गलत है, स्वीकार नहीं है। <u>विशेष आपत्तियांः—</u> प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के चरण नं0 2 में वर्णितानुसार प्रार्थीगण के पिता/पति अर्जुनाराम पुत्र बागा रेगर को साबिक ख0नं0 327 में 3 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 10.05.1975 को हुई और मौके पर कब्जा संभलाया था। वही अर्जुनाराम की आवंटन पत्रावली का मुलाएजा करने पर यह सामने आया है कि प्रार्थीगण के पिता व पति को साबिक ख0नं0 327 रकबा 3 बीघा भूमि आवंटन हुई। आवंटन पत्रावली के अनुसार प्रार्थीगण के

D.. Rv

पिता/पति को आवंटित भूमि का नक्शा भी भूमि पर कब्जानुसार जारी किया गया था। जिसके अनुसार अर्जुनाराम को उत्तर से दक्षिण लंबाई वाली भूमि आवंटित हुई है तथा नक्शा के अनुसार अर्जुनाराम को पूर्व दिशा की तरफ मदनलाल छीपा की भूमि थी। अर्थात् अर्जुनाराम को आयताकार भूमि आवंटन की जाकर कब्जा संभलाया था और इसी आयताकार भूमि पर प्रार्थीगण के पिता/पति अर्जुनाराम काबिज होकर काश्त करता रहा था। प्रार्थीगण के पिता/पति अर्जुनाराम को भूमि आवंटन होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल ही नहीं हुई/नही किया गया। यदि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किया जाता है तो आवंटन भूमि का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जबकि प्रार्थीगण के पिता/पति अर्जुनाराम के भाई पांचूराम पुत्र बागा रेगर को भी इसी साबिक ख0नं0 327 रकबा 5 बीघा आवंटन हुई थी। जिसका आवंटन के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दूसरी ओर यदि अर्जुनाराम को आवंटित भूमि की स्थिति आवंटन में लगे हुए नक्शा ट्रेस का सेटलमेंट के दौरान बनाई गई नई शीट में मिलान करने पर स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुनाराम को आवंटन भूमि हाल ख0नं0 501 नये ख0नं0 348 नहीं है बल्कि अर्जुनाराम को आवंटन भूमि हाल ख0नं0 446 रकबा 0.63 है0 नये ख0नं0 161 रकबा 0.63 है0 है तथा आवंटन पत्रावली में लगे हुए नक्शा ट्रेस के मुताबिक अर्जुनाराम को आवंटन भूमि के पूर्व दिशा की तरफ मदनलाल छीपा की भूमि थी, जिसके हाल ख0नं0 447 नये ख0नं0 162 है। ख0नं0 446, 447 के साबिक ख0नं0 327 ही है। वही अर्जुनाराम के भाई पांचू पुत्र बागा रेगर को भी साबिक ख0नं0 327 में 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसके हाल ख0नं0 459 रकबा 1.26 है0 नये ख0नं0 177 है। इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 की खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि नये ख0नं0 348 रकबा 0.69 है0 पुराने ख0नं0 501 का प्रार्थीगण के पिता/पति अर्जुनाराम की आवंटित भूमि नहीं है। दूसरी ओर साबिक ख0नं0 328/1 जो गोकुलचंद पुत्र कल्याण ब्राहाम्ण की थी इसी साबिक ख0नं0 328/2 अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 के पिता/पति प्रहलाद पुत्र छगनलाल ब्राहाम्ण के नाम खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनके हाल ख0नं0 501, 502 बनाये गये है। बाद में नये ख0नं0 347, 348 बनाये गये है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में सेटलमेंट की अनियमितता बताते हुए उनकी भूमि को अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 के पिता/पति प्रहलाद के नाम लगाना बता रहे है

तो सेटलमेंट के भू प्रबंध विभाग का खसरा पत्रक को देखने पर स्पष्ट है कि हाल ख0नं0 501 अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 के पिता/पति प्रहलाद के नाम है। जिसमें सेटलमेंट के कर्मचारियों के द्वारा सेटलमेंट के पूर्व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज को उसी के अनुसार सेटलमेंट के दौरान इन्द्राज किया गया है। अर्थात् अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 के पिता/पति प्रहलाद की सेटलमेंट से पूर्व साबिक खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि ख0नं0 328/2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा जो जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वहीं सेटलमेंट के दौरान भी इसी साबिक ख0नं0 328/2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का पर्चा लगान एवं हाल ख0नं0 501 बनाने के बाद में पर्चा लगान जारी किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 के पिता/पति प्रहलाद की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 के नाम इन्द्राज होकर हाल ख0नं0 501 नये ख0नं0 348 अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 की खातेदारी व कब्जे–काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 उक्त भूमि काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण के पिता/पति अर्जुनाराम व अर्जुनाराम की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि से कोई लेना–देना संबंध नहीं है और ना ही प्रार्थीगण का हाल ख0नं0 348 की भूमि अथवा उसके किसी भी भू–भाग पर कब्जा नहीं है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 की खातेदारी व कब्जे–क़ाश्त की भूमि ख0नं0 501 नये ख0नं0 348 प्रार्थीगण की भूमि नहीं है और ना ही कभी अर्जुनाराम व उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा रहा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 की उक्त वर्णित खातेदारी बाबत् प्रार्थीगण कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है और यदि वाद हेतु हाल ख0नं0 348 में उत्पन्न नहीं होता है तो प्रार्थीगण का वाद ख0नं0 348 के बाबत् चलने योग्य नहीं है, अपितु प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र हाल ख0नं0 348 रकबा 0.69 है0 राजस्व ग्राम बनने से पूर्व ख0नं0 501 रकबा 0.69 है0 वाके तनग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, पर घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा व अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया था। प्रार्थीगण का उक्त ख0नं0 348 बाबत् किसी प्रकार का वाद हेतु प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 की खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि के संबंध में बिना वाद कारण उत्पन्न हुए चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण नं. 1

ता 5 की उक्त वर्णित खातेदारी बाबत् प्रार्थीगण कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है और यदि वाद हेतु हाल ख0नं0 348 में उत्पन्न नहीं होता है तो प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा ख0नं0 348 के बाबत् चलने योग्य नहीं है, अपितु प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को हुबहु दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को साबिक ख. नं. 327 रकबा 3 बीघा का आवंटन किया गया जिससे हाल ख. नं. 348 बने है। अप्रार्थीगण को ख. नं. 327 रकबा 3 बीघा का आवंटन किया गया परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं किया गया है जिसके लिए प्रार्थीगण ने यह वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था परन्तु बाद में अप्रार्थीगण ने एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर प्रार्थीगण को अन्तरिम स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दियाा है। इस समय उक्त आराजी पर प्रांर्थीगण का पजेशन है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा पेश वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में आवंटन आदेश में नक्शा ट्रेस संलग्न नहीं किया है। क्योंकि नक्शा ट्रेस और जगह का है जिस कारण से प्रार्थीगण ने अपनी आवंटन पत्रावली में नक्शा को जानबुझ कर हटाया है। इससे स्पष्ट है प्रार्थीगण क्लीनहैंड से न्यायालय में नहीं आये है। सुपुर्दगीनामा ख. नं. 460 का पेश किया है जबकि हाल ख. नं. साबिक ख. नं0 327 से बने है। प्रार्थीगण को ख. नं. 327 में से आवंटन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद व प्रार्थना पत्र नल एण्ड वोईड है। प्रार्थीगण को कोई पजेशन कभी भी नही रहा है और न ही वर्तमान में है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण के पिता/पति अर्जुनाराम पुत्र बागा रेगर को साबिक ख. नं. 327 में 3 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 10.05.1975 को हुई थी परन्तु इस आवंटित भूमि का

राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं किया गया है। प्रार्थीगण की प्रार्थना यह है कि आवंटन के समय से ही प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। बाद में साबिक ख. नं. 327 से हाल ख. नं. 501 रकबा 0.69 हे0 बना दिये गये है और नया राजस्व ग्राम बनने से नये हाल ख. नं. 348 रकबा 0.69 हे0 बना दिये गये है। वर्तमान में सेटलमेन्ट की अनियमितता के कारण यह भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के नाम खातेदारी में लगा दी गई जो गलत है जबकि कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब व बहस में प्रार्थना पत्र को पूर्णतया अस्वीकार कर कथन किया कि अर्जुनाराम को आवंटित भूमि के समय नक्शा ट्रेस व सेटलमेंन्ट के दौरान बनाई नक्शा ट्रेस के मिलान करने पर ख0नं0 501 के नये ख0नं0 348 नहीं है बल्कि अर्जुनाराम को आवंटन भूमि हाल ख0नं0 446 रकबा 0.63 हे0 से नये ख0नं0 161 रकबा 0.63 हे0 बने है तथा आवंटन पत्रावली में लगे हुए नक्शा ट्रेस के मुताबिक अर्जुनाराम को आवंटन भूमि के पूर्व दिशा की तरफ मदनलाल छीपा की भूमि थी, जिसके हाल ख0नं0 447 नये ख0नं0 162 है। साबिक ख0नं0 328/1 जो गोकुलचंद पुत्र कल्याण ब्राहाम्ण की थी इसी साबिक ख0नं0 328/2 अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 के पिता/पति प्रहलाद पुत्र छगनलाल ब्राहाम्ण के नाम खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनके हाल ख0नं0 501, 502 बनाये गये है। बाद में नये ख0नं0 347, 348 बनाये गये है। उक्त तथ्यो के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पूर्वज अर्जुनाराम को आवंटित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद ही नहीं की गई है । वर्तमान में यह भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिनको पाबन्द करना न्यायोचित नहीं है। विवादित ख. नं. का निर्णय सहादत, साक्ष्यो व सबूतो के आधार पर नियमित वाद में हो सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली